Solar energy enterprise zone;

3971. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to State:

(a) whether a "Solar energy enterprise zone" is being set up near the Capital to facilitate joint ventures;

(b) if so, the broad features thereof

(e) the capital outlay involved therein; and

(d) the what manner it is proposed to make use of this venture for domestic, commercial and industrial applications?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (d) The Ministry of Non-Conventional Energy Sources have established a Solar Energy Centre at Gwal Pahari in the Gurgaon District of Haryana. The Centre carries out testing of solar thermal 'and photovolatic products and provides technical information training and calebration services. The services of the Centre are used by industry and R& D organisations. ' There is a proposal *to* establish a Solar Energy Enterprise zone so that manufacturetrs can utilise the test facilities and technical advice available from the Centre. The type of manufacturing and other units that will be established, the expenditure involved, etc. can be decided only after a feasibility report is available.

अखिल भारतीय सेवा के पदों को सृजित करना तथा वापस करना

3972. श्री दिलीप सिंह जूदेव क्या : प्रधान मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1991–92 से लेकर वर्ष 1993–94 तक अखिल भारतीय सेवाओं के कितने पद सृजित किये गये हैं तथा इन श्रेणियों के कितने पद वापस/समाप्त किये गये हैं;

(ख) 31 जुलाई, 1994 को उपरोक्त संवर्ग के कितने पद रिक्त पड़े थे ; और

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्रमश: सृजित नये पद तथा वापस किये गये पदों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती माग्रेट आल्वा) : (क) और (ग) अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी राज्य संवर्ग की प्राधिकृत पद संख्या संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके निर्धारित की जाती है । 10 मार्च, 1995 से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय वन सेवा संवर्ग की पद संख्या तथा संरचना की पुनरीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय वन सेवा संवर्ग नियमावली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संवर्ग पद संख्या निर्धारण विनियमों के अनुसार सामान्यत: प्रति पांच वर्ष के अंतराल पर करने का प्रावधान है । संवर्ग पुनरीक्षा अंतरालों के दौरान राज्य सरकारों को राज्य के भीतर अस्थायी तथा संवर्ग बाह्य पद सृजित करने की शक्ति प्राप्त होती है । राज्य सरकारों द्वारा ऐसा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमों के उपबंधों के अनुसार तथा संवर्ग अनुसूची में निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन किया जाता है । तथापि, तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में प्रत्येक संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या में कमी अथवा वृद्धि जैसी भी स्थिति हो, 1–1–92, 1–1–93 तथा 1–1–94 के अनुसार परिशिष्ट 3 में दी गई है । (देखिए परिशिष्ट 173 अनुबंध सं० 81) ।